छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918927
Email - office.rera.cg@gov.in, **website- https://rera.cgstate.gov.in/**

क्रमांक : 148 / रेरा / 2026 / 2087 रायपुर, दिनांक 19/06/2026

//परिपत्र //

विषय: परियोजना अवधि विस्तार (Extension of Registration) के प्रकरणों में दो–तिहाई (2/3) आवंटितियों (Allottees) की सहमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रारूप जारी किये जाने संबंधी।

प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 138 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया हैकि दो–तिहाई आवंटितियों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) केवल उन प्रकरणों में प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ प्राधिकरण द्वारा परियोजना विस्तार प्रदान करते समय इसे अतिरिक्त शर्त (Additional Condition) के रूप में अधिरोपित किया गया हो अथवा अन्य आवश्यकताओं के साथ इसकी अपेक्षा की गई हो।

अतः, भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 37 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दो–तिहाई आवंटितियों की सहमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) प्रस्तुत किये जाने हेतु संलग्न प्रारूप (Annexure-A) जारी किया जाता है।

यह निर्देशित किया जाता है कि जिन प्रकरणों में प्राधिकरण द्वारा दो–तिहाई आवंटितियों से NOC प्रस्तुत करना अपेक्षित किया गया हो, उन सभी प्रकरणों में NOC केवल संलग्न प्रारूप (Annexure-A) में ही प्रस्तुत किया जाएगा।

यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नक : २/३ आवंटितियों से सहमति पत्र प्रारूप

(प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

प्रोजेक्ट पंजीयन अवधि विस्तार हेतु आबंटितियों (दो–तिहाई) की सूचित सहमति पत्र–

प्रोजेक्ट का नाम : ————————

पंजीयन कमांक : ————————

प्रमोटर का नाम : ————————

मूल पंजीयन वैधता अवधि/प्रोजेक्ट पूर्णता तिथि–: ————————

प्रस्तावित विस्तारित पंजीयन अवधि : ————————

आबंटितियों द्वारा घोषणा एवं सहमति : ————————

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता आबंटीगण, उक्त प्रोजेक्ट में यूनिट/बंगला/प्लॉट के केता है।

हम यह घोषणा करते है कि हमें प्रवर्तक द्वारा परियोजना की वर्तमान स्थिति, अवधि विस्तार हेतु कारणों, लंबित विकास कार्यों, सामान्य क्षेत्रों, अधोसंरचना एवं उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदान कर दी गई है, जिसका विवरण इस सहमति पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लेखित है।

हम यह स्पष्ट रूप से समझते एवं स्वीकार करते है कि प्रोजेक्ट की पंजीयन अवधि में प्रस्तावित विस्तार केवल प्रोजेक्ट के शेष विकास कार्यों को पूर्ण करने हेतु है।

हम यह भी समझते है कि उपरोक्त प्रोजेक्ट का पंजीयन विस्तार किसी भी दशा में प्रमोटर एवं आंबटिती के मध्य किये गये अनुबंध में उल्लेखित अधिपत्य तिथि को प्रभावित नहीं करेगा।

परिशिष्ट –1

परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं अवधि विस्तार संबंधी विवरण–

1. मूल पंजीयन वैधता/ पूर्णता तिथि : ————————
2. मांगी गई विस्तारित अवधि :————————
3. अवधि विस्तार हेतु कारण : ————————
4. शेष विकास कार्यों का विवरण :————————
5. कुल यूनिट/प्लॉट संख्या : ————————
6. कुल विकय किए गए यूनिट/प्लॉट संख्या : ————————
7. कुल आबंटितियों की संख्या : ————————

8. दो–तिहाई सहमति हेतु आवश्यक संख्या : ————————————

9. सहमति प्रदान करने वाले आबंटितियों की संख्या : ————————

महत्वपूर्ण सूचनाः

परियोजना की विस्तारित पंजीयन अवधि को व्यक्तिगत यूनिट/प्लॉट/बंगले की नई कब्जा तिथि नहीं माना जाएगा। यह विस्तार केवल प्रोजेक्ट के शेष विकास कार्यों एवं सामान्य सुविधाओं को पूर्ण करने हेतु है।

आबंटितियों के हस्ताक्षर :–

1. —————— 6. ——————
2. —————— 7. ——————
3. —————— 8. ——————
4. —————— 9. ——————
5. —————— 10. ——————

प्रमोटर की घोषणा

मैं/हम, उक्त प्रोजेक्ट के प्रमोटर, यह प्रमाणित करते हैं कि इस सहमति पत्र एवं परिशिष्ट–1 में वर्णित सभी तथ्यों की सही एवं पूर्ण जानकारी सभी आबंटितियों को उपलब्ध कराई गई है तथा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाया गया है।

प्रमोटर का नामः————

अधिकृत हस्ताक्षर एवं मोहर ————

दिनांक——————